राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या– 2037, 2038, 2039, 2040/2013.....जिला.....अजमेर.....

उनवान– मैं0 यूनाईटेड एजेंसीज, पुरानी मंडी, अजमेर बनाम वाणिज्यिक अधीकारी वृत–ए अजमेर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.08.2017	एकलपीठ श्री नत्थूराम–सदस्य पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी व उनके अधिकृत अभिभाषक अनुपस्थित। प्रत्यर्थी–राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक श्री जमील जई उपस्थित। अपीलार्थी–राजस्व के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कार्यालय उपायुक्त कर विभाग वृत–ए, अजमेर के पत्र क्रमांक उपा/अज/ए/17–18/412 दिनांक 14.08.17 पेश कर, जिसमे उपायुक्त कर विभाग वृत–ए, अजमेर ने निवेदन किया कि **"मै0 यूनाईटेड एजेंसीज, अजमेर की उपरोक्त अपीलों मे व्यवसायी द्वारा एमनेस्टी स्कीम का लाभ प्राप्त कर समस्त देय मांग राशि जमा करवायी जा चुकी है। वर्तमान मे इन प्रकरणों में विभाग की कोई वसूली शेष नहीं रही है"**। उक्त पत्रों को पत्रावली में शामिल मिसल किया गया। इस न्यायालय के विनम्र मतानुसार जब एक बार किसी आदेश की पालना में ऐमनेस्टी स्कीम (आम माफी योजना) स्कीम का लाभ प्राप्त करते हुए क्रियान्विती कर दी जाती है। तो इसका तात्पर्य यह है कि संबधित पक्षों ने आदेश को अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया है। यदि अपीलार्थी आदेश को विधिक चुनौती देने के आधार पर ऐमनेस्टी स्कीम (आम माफी योजना) स्कीम का लाभ प्राप्त करते हुए क्रियान्विती कर दी जाती है तो इसका तात्पर्य यह है कि संबंधित पक्षों ने आदेश को अन्तिम रूप से स्वीकार कर लिया है। यदि अपीलार्थी आदेश को विधिक चुनौति देने के आधार पर ऐमनेस्टी स्कीम माफी योजना (आम माफी योजना) स्कीम का लाभ प्राप्त करने हेतु निवेदन करता है तो यह संभव है कि सक्षम अधिकारी अपीलार्थी को उसका लाभ नहीं देते। माननीय राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर की खण्डपीठ ने निगरानी संख्या 477/2015 मै0 रीजन पावर टैक प्रा0लि0 बनाम राजस्थान सरकार निर्णय दिनांक 22.08.2016 में यह अवधारित किया गया है कि ऐमनेस्टी स्कीम(आम माफी योजना) स्कीम का लाभ प्राप्त करने के पश्चात प्रकरणों में लाभ प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो जाता है क्योंकि एक प्रकरण में एक ही प्रकार का लाभ प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा ऐमनेस्टी स्कीम(आम माफी योजना) स्कीम का लाभ प्राप्त करने का तात्पर्य अपीलाधीन आदेश को अन्तिम रूप से स्वीकार करना जिसमें अपीलार्थी आगे विधिक चाराजोही का अधिकारी नहीं माना जा सकता। अतः अपीलार्थी–व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त चारों अपीलें सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है। निर्णय सुनाया गया । (नत्थूराम) सदस्य	